023/वीजीएल/035
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2023

परिपत्र सं 08/09/23

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का अनुपालन।

थीम : ''भ्रष्टाचार का विरोध करें ; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें''

देश में चहुँमुखी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्राथमिक साधनों में से एक, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत का एक सर्वोच्च सत्यनिष्ठ संस्थान होने के कारण, सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए भिन्न-भिन्न उपाय अपनाता है। भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना आयोग के उपायों में से एक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन (31 अक्टूबर) आता है। आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष **सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक निम्नलिखित थीम के साथ मनाया जाएगा :**

"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"
''Say no to corruption;commit to the Nation''

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का अनुपालन **30 अक्टूबर 2023 को 1100 बजे** सभी मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(सीपीएसई)/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (**अनुबंध क** में संलग्न) लेने के साथ आरंभ होगा।

3. सहभागी सतर्कता की सही भावना को अंतर्निविष्ट करने की दिशा में, आयोग ने पूर्व में **तीन माह की अभियान अवधि (16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर, 2023 तक)** का विवरण देते हुए अनुदेश जारी किए थे, जिसमें सभी मंत्रालयों /विभागों और संगठनों द्वारा निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों को फोकस एरिया के रूप में लिया जाना है :

क) लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पिडपी) संकल्प के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना,
ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम,
ग) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन,

घ) शिकायत निपटान में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेना,
ङ) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावलियों का अद्यतनीकरण,
च) 30.06.2023 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान।

4. सभी संगठनों को सलाह दी जाती है कि वह थीम से संबंधित कार्यकलाप संचालित करें जिससे अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित हो। यह आवश्यक है कि सभी संगठन अलग–अलग आउटरीच कार्यक्रम संचालित करें जिनका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता के बारे में जनता को संवेदनशील बनाना हो। पिडपी पर एक पोस्टर तैयार किया गया है और यह `**अनुबंध ग**` में उपलब्ध है। इस पोस्टर का अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए और जहाँ भी आवश्यक हो, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। आप अपने स्वयं के पोस्टर भी बना सकते हैं।

5. इस तीन माह की अभियान अवधि के दौरान, फोकस क्षेत्रों के रूप में लिए जाने वाले छह निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, **अनुबंध घ(i) से घ(vi)** में संलग्न प्रारूप के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को **8 दिसंबर 2023 (शुक्रवार)** तक सभी भेज दें।

6. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान, सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं को विभिन्न कार्यकलाप में शामिल करने पर विशेष बल दिया जाए। संगठनों को ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जिनमें युवा शामिल हों और ऐसे माहौल का सृजन करना चाहिए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में उनकी भागीदारी के महत्व की पुष्टि करता हो।

7. संगठनों के भीतर आयोजित की जाने वाले कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल करें :

क) कर्मचारियों को वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑनलाइन "सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट (www.cvc.gov.in) पर उपलब्ध है और सभी व्यक्तियों द्वारा ली जा सकती है।

ख) संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कार्यशालाएं/ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

ग) सतर्कता अध्ययन समूह विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।

घ) भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।

ङ) उन व्यक्तियों द्वारा ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की अवधारणा को बढ़ावा देना जिनके साथ संगठन का संपर्क है।

8. जनता/नागरिकों के लिए आउटरीच कार्यकलापों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल करें :

क) सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों, विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/हितधारकों, छात्रों आदि के मध्य व्यापक भागीदारी प्राप्त करने के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का प्रचार करेंगे। नागरिकों और संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा **`अनुबंध क और ख`** में संलग्न है।

ख) संगठन वॉकथॉन, लंबी दौड़, नुक्कड़ नाटक आदि जैसे कार्यकलाप कर सकते हैं जिसकी दृश्यता और व्यापक प्रभाव समाज के सभी वर्गों में हो सके।

ग) जागरूकता के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ी संख्या में एसएमएस/ई-मेल, व्हाट्सएप आदि का व्यापक उपयोग करें। सोशल मीडिया से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सोशल मीडिया हेंडल को टैग किया जा सकता है। (ट्विटर: @CVCIndia; फेसबुक: CVCofIndia)

घ) ग्राहक-उन्मुख कार्यकलाप वाले संगठनों द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाए। इसी तरह, जहाँ भी आवश्यक हो, ऑनलाइन मोड के माध्यम से या अन्यथा, जो भी अधिक संभव हो, विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएं।

ङ) भ्रष्टाचार के खतरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन करें और विभिन्न उपाय जो जनता निवारण के लिए कर सकती है, जैसे शिकायत पोर्टल आदि का प्रसार करें। पुरानी पद्धति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम से कम दो ग्राम पंचायतों में शाखा स्तर पर 'ग्राम सभा जागरूकता' का आयोजन करना है। अन्य संगठन जहाँ कहीं भी संभव हो, ऐसे आयोजन कर सकते हैं। 'ग्राम सभा जागरूकता' के भाग के रूप में संचालित की जा सकने वाले कार्यकलापों की सांकेतिक सूची **अनुबंध ङ** में संलग्न है।

9. चयनित फोटो/मीडिया क्लिप आयोग को ई-मेल द्वारा coord1-cvc@nic.in पते पर भेजे जा सकते हैं। फोटोग्राफ और मीडिया क्लिप विभाग/संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन पर एक रिपोर्ट **संलग्न प्रारूप के अनुसार 8 दिसंबर, 2023** तक केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाए।

11. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाइट **www.cvc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/-
(पी. डेनियल)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति

i) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव

ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव

iii) सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव

iv) निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

v) प्रवर्तन निदेशक

vi) सभी सीपीएसई / सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के मुख्य कार्यकारी

vii) सभी मंत्रालयों /विभागों /सीपीएसई / सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी

अनुबंध – क

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।

अनुबंध - ख

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे;
- हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रुप से संरक्षण करेंगे।

अनुबंध – ग
पिडपी पोस्टर

लोकहित प्रकटीकरण
और
मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पिडपी)

पिडपी क्या है ?	• पिडपी भारत सरकार का एक संकल्प है। • इसके अंतर्गत दर्ज की गई सभी शिकायतों के शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पिडपी शिकायत कैसे की जाती है ?	• सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी जाए और लिफाफे पर "पिडपी" लिखा होना चाहिए। • शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं लिखा होना चाहिए अपितु बंद लिफाफे के अंदर पत्र में होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश	• जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान प्रकट हो सकती है। • शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए। • शिकायत में पहचान प्रकट करने वाले दस्तावेज़ संलग्न नहीं करने चाहिए अथवा उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए जैसे: आर.टी.आई के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज। • लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता पुष्टि के प्रयोजन से लिखा होना चाहिए। • जिन शिकायतों की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। • अनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए https://www.cvc.gov.in को देख सकते हैं।

अनुबंध – घ(i)

पिडपी के संबंध में जागरूकता

संगठन का नाम :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. पिडपी के संबंध में जागरूकता का प्रचार करने के लिए कौन से अभियान चलाए गए?
2. पिडपी पोस्टर का प्रदर्शन
   (क) संगठन के कुल क्षेत्रीय कार्यालय?
   (ख) ऐसे कितने कार्यालयों में पोस्टर प्रदर्शित किया गया?
   (ग) भाषाओं की संख्या जिनमें पोस्टर का अनुवाद किया गया हो, संक्षिप्त विवरण दें।
   (घ) इसके अतिरिक्त अन्य कोई टिप्पणी, यदि हो तो दें।

3. जिंगल / वीडियो / अन्य माध्यम
   (क) पिडपी प्रावधानों के प्रचार के लिए प्रयोग की गई जिंगल / वीडियो, आदि का विवरण दें।
   (ख) इसके अतिरिक्त अन्य कोई टिप्पणी, यदि हो तो दें।

4. वार्तालाप / सेमिनार / लोक संवाद / ग्राम सभाएं
   (क) पिडपी संकल्प के प्रावधानों, पिडपी शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया और पिडपी शिकायतें दर्ज करने के दौरान होने वाली सामान्य चूक/ त्रुटि को समझाने हेतु आयोजित वार्तालाप/सेमिनार/लोक संवाद/ग्राम सभाओं की संख्या।
   (ख) इसके अतिरिक्त अन्य कोई टिप्पणी, यदि हो तो दें।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>अनुबंध – घ(ii)</u>

क्षमता निर्माण

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. अभियान अवधि के दौरान टीओटी (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या:-
   क) खरीद,
   ख) नैतिकता और शासन,
   ग) संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, और
   घ) साइबर स्वच्छता और सुरक्षा।
   ङ) आईओ/पीओ प्रशिक्षण,

2. अभियान अवधि के दौरान प्रशिक्षित अन्य अधिकारियों की संख्या:
   क) खरीद,
   ख) नैतिकता और शासन,
   ग) संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, और
   घ) साइबर स्वच्छता और सुरक्षा।
   ङ) आईओ/पीओ प्रशिक्षण,

3. अभियान अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण:-

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुबंध – घ(iii)

प्रणालीगत सुधारों की पहचान एवं कार्यान्वयन

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

(क)

(i) विश्लेषण के लिए, लिए गए पिछले 05 वर्षों के सतर्कता मामलों की संख्या।

(ii) विश्लेषण के आधार पर, भ्रष्टाचार के प्रति पहचाने गए संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या। संक्षिप्त विवरण दिया जाए।

(iii) भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए लागू किए गए प्रणालीगत सुधार।

(ख)

(i) 15 अगस्त 2023 को लंबित, आयोग द्वारा सुझाए गए प्रणालीगत सुधारों का संक्षिप्त विवरण।

(ii) अभियान अवधि के दौरान कार्यान्वित प्रणालीगत सुधारों का संक्षिप्त विवरण।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>अनुबंध – घ(iv)</u>

शिकायत निपटान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. क्या 31.07.2023 की स्थिति अनुसार संगठन में शिकायतों की प्राप्ति और स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन पोर्टल मौजूद थे। यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण दिया जाए।
2. जहाँ ऐसा कोई पोर्टल अस्तित्व में नहीं है, क्या वहाँ ऐसा पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है।

यदि हाँ,

(क) विकसित किए गए ऐसे पोर्टल का विवरण।
(ख) यदि पोर्टल अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, तो आरंभ होने की समय-सीमा का उल्लेख करें।

3. किसी अन्य पहल का संक्षिप्त विवरण।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>**अनुबंध – घ(v)**</u>

परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ नियमावलियों का अद्यतनीकरण

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. क्या अभियान अवधि के दौरान दिशानिर्देशों/ परिपत्रों और नियमावलियों को अद्यतन किया गया है?
2. संक्षिप्त विवरण दिया जाए।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुबंध – घ(vi)

शिकायतों का निपटान

क्र.सं	विवरण	संख्या	टिप्पणी, यदि कोई हो तो
1	15 अगस्त 2023 को लंबित शिकायतें जो 30.06.2023 को या उससे पहले प्राप्त हुई हैं		
2	30.06.2023 को या उससे पहले प्राप्त शिकायतों का अभियान अवधि के दौरान निपटान		
3	15 नवंबर 2023 को लंबित शिकायतें जो 30.06.2023 को या उससे पहले प्राप्त हुई हैं		

अनुबंध ङ

ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में "ग्राम सभा जागरूकता" के आयोजन के लिए कार्यकलापों की सूची

'ग्राम सभा जागरूकता' के आयोजन के लिए सांकेतिक कार्यकलापों की सूची निम्नलिखित है।

1. ग्राम पंचायत के सभी हितधारकों जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), मनरेगा के श्रमिकों, किसानों, छात्रों और नागरिकों को आमंत्रित करते हुए बैठकें आयोजित करें। ग्राम सभा के मुखिया, सरपंच या किसी गणमान्य व्यक्ति को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता पर व्याख्यान देने और उसके बाद चर्चा करने का अनुरोध किया जाए। बैठक में स्थानीय भाषाओं में भ्रष्टाचार विरोधी संदेश को भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
2. प्रश्नोत्तरी, कार्टून, स्लोगन, पेंटिंग, रंगोली, पोस्टर और वॉकथॉन/मैराथन/साइक्लेथॉन आदि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।
3. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन / उत्पादों के व्यापक प्रचार के लिए मेला का आयोजन करें जो उनको जागरूकता सृजन प्रयासों के साथ एकीकृत करने के लिए एक प्रेरक उपकरण के रूप में कार्य करे।
4. गांवों/पंचायतों में शाम की चौपालें/बैठकें आयोजित करें, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी थीं पर केंद्रित लघु नाटक/नौटंकी/कलाजत्था/लोक गीत/कठपुतली प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जा सकता है।

अनुबंध – च

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 - कार्यकलाप रिपोर्ट प्रारूप

संगठन का नाम:

1. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

सारणी क) : सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

कुल कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	कुल ग्राहकों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	कुल नागरिकों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है

2. संगठन के भीतर आयोजित कार्यकलाप / कार्यक्रम

सारणी क) : प्रतियोगिता का आयोजन

राज्य का नाम	शहर /स्थान	कार्यक्रम का विवरण (वाद विवाद/स्थानीय/ समूह चर्चा आदि)	प्रतिभागियों की संख्या	टिप्पणी

सारणी ख): अन्य कार्यकलाप

क्र सं	कार्यकलाप	विवरण
1	पैम्फलेट / बैनरों का वितरण	
2	कार्यशाला / जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	
3	जारी जर्नल / सूचनापत्र	
4	अन्य कोई कार्यकलाप	

3. **आउटरीच कार्यकलाप**

सारणी क) : विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	विद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या
कुल				

सारणी ख) महाविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रतिभागिता

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	महाविद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या
कुल				

सारणी ग) : 'ग्राम सभा जागरूकता'

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां 'ग्राम सभा जागरूकता' का आयोजन हुआ	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी जनता / नागरिकों की संख्या
कुल				

सारणी घ) : संगोष्ठी / कार्यशाला

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	आयोजित संगोष्ठी /कार्यशाला की संख्या	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी जनता / नागरिकों की संख्या
कुल				

4. अन्य कार्यकलाप

क्र सं	कार्यकलाप	विवरण
1	बैनर / पोस्टर आदि का प्रदर्शन	
2	शिकायत निवारण शिविरों के आयोजन की संख्या	
3	सोशल मीडिया का प्रयोग	

5. संलग्न फोटो का विवरण

(कृपया फोटो को कैप्शन और कार्यक्रम के स्थान और तिथि के साथ भेजें)

आयोजित कार्यकलापों का नाम	फोटो की संख्या	क्या फोटो की सॉफ्ट अथवा हार्ड प्रति भेजी गई है	यदि सॉफ्ट प्रति में, तो संलग्न सीडी की संख्या

6. अन्य कोई प्रासंगिक सूचना , यदि कोई है :

(सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण, जो 1000 शब्दों से अधिक न हो को अलग पृष्ठ पर संलग्न किया जाए)